



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 2 सितम्बर, 2021

भाद्रपद 11, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 847/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश(198)-2021
लखनऊ, 2 सितम्बर, 2021

अधिसूचना

प०आ०-303

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) (जिसे आगे इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा अधिसूचना संख्या क०नि०-2-136/ग्यारह-9(42)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश(99)-2018, दिनांक 30 जनवरी, 2018 में निम्नलिखित अग्रतर संशोधन करती हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, तीसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक को बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

“परंतु यह भी कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन वित्तीय वर्ष 2021-22 और उसके आगे की अवधि के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा संदेय विलंब फीस की कुल राशि, जो देय तिथि तक प्ररूप जीएसटीआर-4 में विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, का अधित्यजन कर दिया जाएगा-

(एक) जो कि दो सौ पचास रुपये से अधिक है जहां उक्त विवरणी में संदेय राज्य कर की कुल राशि शून्य है;

(दो) जो कि एक हजार रुपये से अधिक है, उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जो कि खण्ड (i) के अधीन आच्छादित व्यक्तियों से भिन्न व्यक्ति हैं।”

2-यह अधिसूचना तारीख 01 जून, 2021 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,
संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 847 / XI-2-21-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order(198)-2021, dated September 2, 2021 :

No. 847 / XI-2-21-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order(198)-2021

Dated Lucknow, September 2, 2021

IN exercise of the powers conferred by section 128 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Governor, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification no. KA.NI.-2-136/XI-9(42)-17-U.P. Act-1-2017-Order(99)-2018, dated January 30, 2018, namely :-

In the said notification, *after* the third proviso, the following proviso shall be *inserted*, namely:-

"Provided also that the total amount of late fee payable under section 47 of the said Act for financial year 2021-22 onwards, by the registered persons who fail to furnish the return in **FORM GSTR-4** by the due date, shall stand waived—

(i) which is in excess of two hundred and fifty rupees where the total amount of state tax payable in the said return is nil;

(ii) which is in excess of one thousand rupees for the registered persons other than those covered under clause (i)."

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 1st day of June, 2021.

By order,
SANJIV MITTAL,
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 310 राजपत्र-2021-(662)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 25 सा० राज्य कर-2021-(663)-1000 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।